

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उप. / जोन-12/2009/डी-5059

दिनांक 1/12/09

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 145वीं बैठक दिनांक 27.11.2009 में लिये गये निर्णय का विवरण

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1 145.1	कार्यकारी समिति की 144वीं बैठक दिनांक 30.10.2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 144वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।		
2 145.2	भूखण्ड सं. 277, रमल्यावाला डेयरी योजना के नियमितिकरण के संबंध में।	भूखण्ड सं. 277 रमल्यावाला डेयरी योजना के संबंध में माननीय अपीलीय अधिकरण के निर्णय व नो अपील के निर्णय की पालना में उक्त भूखण्ड के नियमितिकरण की स्वीकृति एवं प्रकरण दो वर्ष से अधिक विलम्ब अवधि से राशि जमा होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
3 145.3	श्री पूरण चन्द मीणा, कनिष्ठ सहायक की पत्नि का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की नियमानुसार पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री पूरण चन्द मीणा, कनिष्ठ सहायक की पत्नि का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की नियमानुसार पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
4 145.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 883 से 887, खसरा नम्बर 894 व 895 कुल किता 7 रकबा 2.21 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मैसर्स नोवा बिल्डहोम प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 883 से 887, खसरा नम्बर 894 व 895 कुल किता 7 रकबा 2.21 हैक्टर भूमि में से प्रस्तावित 200 फीट चौड़ी सड़क 2196.50 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 19903.50 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
5 145.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम सूरजपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 295, 295/1, 296/1, 311/688, 296, 297, 298, 299, 303, 304, 307, 308, 309, 300/1 कुल किता 14 रकबा 6.09 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री शंकर लाल एवं अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम सूरजपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 295, 295/1, 296/1, 311/688, 296, 297, 298, 299, 303, 304, 307, 308, 309, 300/1 कुल किता 14 रकबा 6.09 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
6 145.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नेमी नगर भूखण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 494.62 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्रीमती बेजन्ति सिंह देव)	जोन उपायुक्त एवं वरिष्ठ नगर नियोजन (प्रोजेक्ट) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण 80 फीट रोड पर स्थित है, तथा वर्तमान में उक्त सड़क पर व्यावसायिक गतिविधिया जारी है। विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि पूर्व में भी 80 फीट रोड पर व्यावसायिक भू-रूपान्तरण की कार्यवाही की गई है, तथा वर्तमान में मौके पर व्यावसायिक गतिविधिया जारी है, तथा लगभग 50 से 60 प्रतिशत क्षेत्र में व्यावसायिक कार्य हो रहा है। अतः तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नेमी नगर भूखण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 494.62 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया, साथ ही मानचित्र अनुमोदित करते समय पार्किंग व्यवस्था एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण ध्यान रखा जाये।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
7 145.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बिलोचि तहसील आमेर के खसरा नं. 840, 842, 844, 845, 982, 1005, 1006, 984/1834, 985, 1003, 1004, 1023/1669, 949/1651, 951, 959, 960/1833, 961, 962, 970, 971, 984, 989/1656, 984, 989/1656, 984/1886 कुल किता 23 रकबा 15.23 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (ओसियन सेवन बिल्डटेक)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बिलोचि तहसील आमेर के खसरा नं. 840, 842, 844, 845, 982, 1005, 1006, 984/1834, 985, 1003, 1004, 1023/1669, 949/1651, 951, 959, 960/1833, 961, 962, 970, 971, 984, 989/1656, 984, 989/1656, 984/1886 कुल किता 23 रकबा 15.23 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
8 145.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित (1) ग्राम चौसला तहसील चाकसू के खसरा नं. 874, 875, 855, 857, 828, 829, 864, 869, 959, 973, 52, 410शा.न. 411, 412, 414 किता 14 रकबा 2.42 हैक्ट. (2) ग्राम जयमनमोहनपुरा उर्फ मलवा तहसील चाकसू के खसरा नं. 82, 89, 161/1, 105, 107, 133/1 किता 6 रकबा 1.59 हैक्ट. (3) ग्राम नाहरियो का बास तहसील चाकसू के खसरा नं. 718, 723, 726/2, 729, 504, 505/2, 512/1, 503, 705, 706, 707/2, 709/2, 512/2, 513, 514/2, 515/2 किता 16 रकबा 3.80 हैक्ट. (4) ग्राम यारलीपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 107, 108, 320, 327, 328, 329, 330, 331, 336/1, 339/2, 469, 470, 471/1, 472/1, 336/2, 337, 338, 339/1, 340, 341, 342/1, 347/1, 348/1 किता 23 रकबा 3.64 हैक्ट. (5) ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू के खसरा नं. 2714, 2715, 2751, 2813, 2817, 2818, 2821, 2843, 2893, 2894, 2840, 2782/1, 2834, 2986/2, 3074, 2458, 1410/2, 1562, 1885, 2709, 1883, 1882, 1880, 1880/6398, 1559/6662, 1879, 1881, 1886, 1884, 1561/6706, 2473, 2474, 2500, 2506, 2530, 2510, 2526, 2540, 2511, 2518, 2535, 2542 किता 42 रकबा 12.56 हैक्टर पांचो ग्रामों की कुल किता 101 रकबा 24.01 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री अशोक अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से (1) ग्राम चौसला तहसील चाकसू के खसरा नं. 874, 875, 855, 857, 828, 829, 864, 869, 959, 973, 52, 410शा. न. 411, 412, 414 किता 14 रकबा 2.42 हैक्ट. (2) ग्राम जयमनमोहनपुरा उर्फ मलवा तहसील चाकसू के खसरा नं. 82, 89, 161/1, 105, 107, 133/1 किता 6 रकबा 1.59 हैक्ट. (3) ग्राम नाहरियो का बास तहसील चाकसू के खसरा नं. 718, 723, 726/2, 729, 504, 505/2, 512/1, 503, 705, 706, 707/2, 709/2, 512/2, 513, 514/2, 515/2 किता 16 रकबा 3.80 हैक्ट. (4) ग्राम यारलीपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 107, 108, 320, 327, 328, 329, 330, 331, 336/1, 339/2, 469, 470, 471/1, 472/1, 336/2, 337, 338, 339/1, 340, 341, 342/1, 347/1, 348/1 किता 23 रकबा 3.64 हैक्ट. (5) ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू के खसरा नं. 2714, 2715, 2751, 2813, 2817, 2818, 2821, 2843, 2893, 2894, 2840, 2782/1, 2834, 2986/2, 3074, 2458, 1410/2, 1562, 1885, 2709, 1883, 1882, 1880, 1880/6398, 1559/6662, 1879, 1881, 1886, 1884, 1561/6706, 2473, 2474, 2500, 2506, 2530, 2510, 2526, 2540, 2511, 2518, 2535, 2542 किता 42 रकबा 12.56 हैक्टर पांचो ग्रामों की कुल किता 101 रकबा 24.01 हैक्टर भूमि में से सैक्टर सडक से प्रभावित 2.97 हैक्टर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 21.04 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
9 145.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चकशिवदासपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 181, 183, 186, 180 कुल किता 4 रकबा 2.40 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय के संबंध में। (श्री मीठालाल पुत्र श्री फूलचन्द मीणा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम चकशिवदासपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 181, 183, 186, 180 कुल किता 4 रकबा 2.40 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)					
10	145.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम लक्ष्मीपुरा उर्फ नाटाणीवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 81/2, 82/2 किता 2 रकबा 0.11 हैक्टर अर्थात 1100 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक (हॉस्पिटल) किये जाने के संबंध में। (राकेश भार्गव)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम लक्ष्मीपुरा, उर्फ नाटाणीवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 81/2, 82/2 किता 2 रकबा 0.11 हैक्टर अर्थात 1100 वर्गमीटर भूमि में से सड़क से प्रभावित 30.96 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने एवं एल.टी. लाईन से प्रभावित 166.50 वर्गमी. भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 902.54 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक (हॉस्पिटल) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
11	145.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नं. 3728, 3698/7713, 3701/8072, 3702/8073, 3730, 3731 कुल किता 6 रकबा 1.07 हैक्टर भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 10281.68 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण रिक्रियेशनल से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्रीमती हेमलता श्रीमती मीना देवी जरिये मु.आम श्री सत्यनारायण बुनकर)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नं. 3728, 3698/7713, 3701/8072, 3702/8073, 3730, 3731 कुल किता 6 रकबा 1.07 हैक्टर भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 10281.68 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण रिक्रियेशनल से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.02.09 के पैरा 18 क के अन्तर्गत स्थानीय निकाय स्तर पर रिक्रियेशनल भू-उपयोग के भू-रूपान्तरण प्रतिबाधित है। किन्तु व्यापक जनहित में महत्वपूर्ण योजनाओं हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति से भू-रूपान्तरण किया जा सकता है। अतः प्रकरण में इस बाबत भी राज्य सरकार की स्वीकृति ली जावे तथा प्रकरण 1500 वर्ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
12	145.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम आशावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 572 व 573 किता 2 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से औद्योगिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम आशावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 572 व 573 किता 2 रकबा 0.54 हैक्टर अर्थात 5400 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 723 वर्गमी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 4673 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से औद्योगिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
13	145.13	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-1 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-1 का ब्याज व पैन्ल्टी वसूल कर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
14	145.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम सिस्वावास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1, 2, 4 से 14, 25 से 29 कुल किता 18 रकबा 8 हैक्टर अर्थात 80,000 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से संस्थानिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
15	145.15	साहित्य सदावर्त समिति को ग्राम राजावास तहसील आमेर में आवंटित भूमि की जमा राशि एवं बकाया राशि के नियमन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से संस्था को प्रथम मांग पत्र जारी होने की दिनांक से ब्याज एवं पैन्ल्टी वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रकरण पूर्व राज्य सरकार के छः माह के कार्यकाल के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों में होने से स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-12	


ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
16	145.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चतरपुरा लाल्या का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 31, 49/459, 51, 72, 74, 75, 77, 187, 188/458, 63/457 कुल किता 10 रकबा 12.15 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (लक्ष्मीपति सिंघानिया एजूकेशन फाउण्डेशन)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम चतरपुरा लाल्या का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 31, 49/459, 51, 72, 74, 75, 77, 187, 188/458, 63/457 कुल किता 10 रकबा 12.15 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
17	145.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 698, 877, 869, 862, 874, 699, 868, 845, 790, 851, 865, 878, 870, 860, 875, 864, 872, 847, 849, 863, 876, 861, 871, 842, 879, 867, 843, 848, 850, 873 किता 30 रकबा 11.88 हैक्टर अर्थात् 118800 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने के संबंध में। (कर्नल सी.के. जैन)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 698, 877, 869, 862, 874, 699, 868, 845, 790, 851, 865, 878, 870, 860, 875, 864, 872, 847, 849, 863, 876, 861, 871, 842, 879, 867, 843, 848, 850, 873 किता 30 रकबा 11.88 हैक्टर अर्थात् 118800 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित 2505.87 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 116294.13 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
18	145.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 1793मि. रकबा 0.20 हैक्टर, ख.नं. 1794मि. रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 1795 रकबा 0.40 हैक्ट. ख.नं. 1796 रकबा 0.25 हैक्ट. ख.नं. 1797 रकबा 0.46 हैक्ट. ख.नं. 1798 मि. रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 1817 रकबा 0.28 हैक्ट. ख. नं. 1818 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1819 रकबा 0.14 हैक्ट. ख.नं. 1820 रकबा 0.51 हैक्ट. कुल किता 10 रकबा 3.00 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (श्री भंवर लाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 1793मि. रकबा 0.20 हैक्टर, ख.नं. 1794मि. रकबा 0.27 हैक्ट. ख. नं. 1795 रकबा 0.40 हैक्ट. ख.नं. 1796 रकबा 0.25 हैक्ट. ख.नं. 1797 रकबा 0.46 हैक्ट. ख.नं. 1798 मि. रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 1817 रकबा 0.28 हैक्ट. ख.नं. 1818 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1819 रकबा 0.14 हैक्ट. ख.नं. 1820 रकबा 0.51 हैक्ट. कुल किता 10 रकबा 3.00 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
19	145.19	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भाटेडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 300, 304, 305, 307, 308 कुल किता 5 कुल रकबा 2.55 हैक्टर अर्थात् 25500 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (साईन इंटरनेशनल एन्टरप्राइजेज)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भाटेडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 300, 304, 305, 307, 308 कुल किता 5 कुल रकबा 2.55 हैक्टर अर्थात् 25500 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित 2347.76 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 23152.24 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
20	145.20	स्वर्गीय श्री कल्याण सहाय गुर्जर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पुत्र श्री राजकुमार को मृतक आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति दिये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वर्गीय श्री कल्याण सहाय गुर्जर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पुत्र श्री राजकुमार को मृतक आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	

ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
21 145.21	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित वैशाली नगर योजना के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ई-1 व ई-45 क्षेत्रफल 825.20 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (श्रीमती शैल शास्त्री)	जोन उपायुक्त एवं वरिष्ठ नगर नियोजन (प्रोजेक्ट) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण 80 फीट रोड पर स्थित है, तथा वर्तमान में उक्त सड़क पर व्यावसायिक गतिविधिया जारी है। विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि पूर्व में भी 80 फीट रोड पर व्यावसायिक भू-रूपान्तरण की कार्यवाही की गई है, तथा वर्तमान में मौके पर व्यावसायिक गतिविधिया जारी है, तथा लगभग 50 से 60 प्रतिशत क्षेत्र में व्यावसायिक कार्य हो रहा है। अतः जविप्रा द्वारा अनुमोदित वैशाली नगर योजना के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ई-1 व ई-45 क्षेत्रफल 825.20 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया, साथ ही मानचित्र अनुमोदित करते समय पार्किंग व्यवस्था एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण ध्यान रखा जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
22 145.22	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-665 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी-665 के नियमितिकरण हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
23 145.23	आरक्षित दरों के संशोधन के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आरक्षित दरों के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में विगत तीन वर्ष में आरक्षित दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है, उनकी आरक्षित दरें 10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	
24 145.24	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित वैशाली नगर योजना के भूखण्ड संख्या बी-105 क्षेत्रफल 216.67 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक (रिटेल कॉमर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने के संबंध में। (श्री विजय सिंह)	जोन उपायुक्त एवं वरिष्ठ नगर नियोजन (प्रोजेक्ट) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण 80 फीट रोड पर स्थित है, तथा वर्तमान में उक्त सड़क पर व्यावसायिक गतिविधिया जारी है। विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि पूर्व में भी 80 फीट रोड पर व्यावसायिक भू-रूपान्तरण की कार्यवाही की गई है, तथा वर्तमान में मौके पर व्यावसायिक गतिविधिया जारी है, तथा लगभग 50 से 60 प्रतिशत क्षेत्र में व्यावसायिक कार्य हो रहा है। अतः जविप्रा द्वारा अनुमोदित वैशाली नगर योजना के भूखण्ड संख्या बी-105 क्षेत्रफल 216.67 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक (रिटेल कॉमर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने का निर्णय लिया गया, साथ ही मानचित्र अनुमोदित करते समय पार्किंग व्यवस्था एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण ध्यान रखा जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
25 145.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बगरु कला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 3017, 3018 कुल किता 2 रकबा 5.07 हैक्टर भूमि अर्थात् 50700 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से औद्योगिक के संबंध में। (दशरथ बलाई)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बगरु कला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 3017, 3018 कुल किता 2 रकबा 5.07 हैक्टर भूमि अर्थात् 50700 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 9620 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 41079.15 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से औद्योगिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
26	145.26	जविप्रा क्षेत्र में ग्राम बिचपुडी तहसील जयपुर के खसरा नं. 138 (शा.नं. 139, 141) 138/212, 144, 145, 147 (शा.नं. 149 व 151) कुल किता 5 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा अर्थात् 49697.91 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (रांका कोलोनाईजर्स)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बिचपुडी तहसील जयपुर के खसरा नं. 138 (शा.नं. 139, 141) 138/212, 144, 145, 147 (शा.नं. 149 व 151) कुल किता 5 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा अर्थात् 49697.91 वर्गमीटर भूमि में से 400 के.वी.एस.टी.लाईन से प्रभावित 15808.00 वर्गमीटर भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 33889.61 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
27	145.27	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बिचपुडी तहसील जयपुर के खसरा नं. 180/1 (शा.नं. 181/1) 180/2 (शा.नं. 181/2) 183/3, 183/4, 185, 187/3, 188, 189, 190, 111 (शा.नं. 112) 115, 147 (शा.नं. 149, 151 में से) 150, 152, 112/209 व 120/211 कुल किता 17 कुल रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा अर्थात् 92946.61 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (रांका कोलोनाईजर्स)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बिचपुडी तहसील जयपुर के खसरा नं. 180/1 (शा.नं. 181/1) 180/2 (शा.नं. 181/2) 183/3, 183/4, 185, 187/3, 188, 189, 190, 111 (शा.नं. 112) 115, 147 (शा.नं. 149, 151 में से) 150, 152, 112/209 व 120/211 कुल किता 17 कुल रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा अर्थात् 92946.61 वर्गमीटर भूमि में से एच.टी.लाईन से प्रभावित 2912 वर्गमीटर भूमि को छोड़ने के पश्चात् शेष 90034.61 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
28	145.28	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित वैशाली नगर योजना के भूखण्ड सं. ए-481 क्षेत्रफल 181.16 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक (रिटेल कॉमर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने के संबंध में। (जितेन्द्र यादव)	जोन उपायुक्त एवं वरिष्ठ नगर नियोजन (प्रोजेक्ट) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण 80 फीट रोड पर स्थित है, तथा वर्तमान में उक्त सड़क पर व्यावसायिक गतिविधिया जारी है। विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि पूर्व में भी 80 फीट रोड पर व्यावसायिक भू-रूपान्तरण की कार्यवाही की गई है, तथा वर्तमान में मौके पर व्यावसायिक गतिविधिया जारी हैं, तथा लगभग 50 से 60 प्रतिशत क्षेत्र में व्यावसायिक कार्य हो रहा है। अतः जविप्रा द्वारा अनुमोदित वैशाली नगर योजना के भूखण्ड सं. ए-481 क्षेत्रफल 181.16 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक (रिटेल कॉमर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने का निर्णय लिया गया, साथ ही मानचित्र अनुमोदित करते समय पार्किंग व्यवस्था एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण ध्यान रखा जायें।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
29	145.29	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बालमुकुन्दपुरा (नाडा) तहसील सांगानेर के खसरा नं. 111/1, 112/1, 113/1, 114 से 123 कुल रकबा 3.55 हैक्टर ग्राम रामपुरा बास देवलिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 45 से 49, 49/310, 84 से 91, 92/1, 93/1, 94/1, 95, 97, 98, 107, 56, 83, 105, 106, 108/1, 109 से 114, 116 से 118 व 155 कुल रकबा 12.25 हैक्टर अर्थात् दोनों ग्रामों की कुल रकबा 15.80 हैक्टर अर्थात् 158000 भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 146453.44 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने के संबंध में। (पुलकित लैण्ड एण्ड डवलपर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बालमुकुन्दपुरा (नाडा) तहसील सांगानेर के खसरा नं. 111/1, 112/1, 113/1, 114 से 123 कुल रकबा 3.55 हैक्टर ग्राम रामपुरा बास देवलिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 45 से 49, 49/310, 84 से 91, 92/1, 93/1, 94/1, 95, 97, 98, 107, 56, 83, 105, 106, 108/1, 109 से 114, 116 से 118 व 155 कुल रकबा 12.25 हैक्टर अर्थात् दोनों ग्रामों की कुल रकबा 15.80 हैक्टर अर्थात् 158000 भूमि पर खसरा सुपर ईम्पोज करने पर प्राप्त 146453.44 वर्गमीटर भूमि में से प्लांटेशन कोरीडोर में आ रहा भाग 5980.20 वर्गमीटर भूमि छोड़ते हुये शेष 140473.24 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
30	145.30	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ रूपवास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 147, 151, 152, 155, 156, 159, 161, 162, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 176, 177, 178/678, 179, 180, 181, 159/674, 160, 163, 164, 166, 167/675, 173/677, 174, 178, 182, 185 किता 31 रकबा 9.09 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (राजेश बिल्डकॉन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ रूपवास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 147, 151, 152, 155, 156, 159, 161, 162, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 176, 177, 178/678, 179, 180, 181, 159/674, 160, 163, 164, 166, 167/675, 173/677, 174, 178, 182, 185 किता 31 रकबा 9.09 हैक्टर भूमि में से 30 मीटर सड़क सीमा में निहित होने वाली 14065.87 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 76834.13 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
31	145.31	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रेनवाल तहसील फागी के खसरा नं. 1579/3193, 1579/3194, 1579 किता 3 रकबा 27 बीघा 6 बिस्वा अर्थात् 69041.7 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (राजेश बिल्डकॉन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रेनवाल तहसील फागी के खसरा नं. 1579/3193, 1579/3194, 1579 किता 3 रकबा 27 बीघा 6 बिस्वा अर्थात् 69041.7 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 5255.22 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 63786.48 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
32	145.32	Agenda Regarding Approve of counter offer and tender for the work of "Engineering, Procuring, constructing, Commissioning (EPC) and performance run for 3 month followed by 5 years O&M of Sewerage Treatment Plant of 30 MLD capacity at village Ralawata for South-East area of Jaipur City based on Conventional Activated Sludge Process on turnkey basis under JNNURM.	(i) After discussions the committee decided to approve the counter offer amounting to Rs. 2624.52 Lacs on Lump Sum basis as detailed below, to be placed in favour of lowest bidder M/S Hindustan-Dorr-Oliver and if not accepted by him than to make counter offer to L-2, L-3 and so on in order of their bidding. 1. Cost of construction Phase = 22,68,83,800.00 2. Cost of Operation and Maintenance = 3,55,68,922.00 Total = 26,24,52,722.00 (ii) Approval of tender in favour of bidder who so ever accepts the offer total amounting to Rs. 2624.52 Lacs.	Zonal Engineer PHE-I	
33	145.33	Agenda Regarding Approve of counter offer and tender for the work of "Engineering, Procuring, constructing, Commissioning (EPC) and performance run for 3 month followed by 5 years O&M of Sewerage Treatment Plant of 30 MLD capacity at village Gajadharpura for North-West area of Jaipur City based on Conventional Activated Sludge Process on turnkey basis under JNNURM.	(i) After discussions the committee decided to approve the counter offer amounting to Rs. 2485.26 Lacs on Lump Sum basis as detailed below, to be placed in favour of lowest bidder M/S M S Khurana Engineering Ltd. and if not accepted by him than to make counter offer to L-2, L-3 and so on in order of their bidding. 1. Cost of construction Phase = 21,29,57,800.00 2. Cost of Operation and Maintenance = 3,55,68,922.00 Total = 24,85,26,722.00 (ii) Approval of tender in favour of bidder who so ever accepts the offer total amounting to Rs. 2485.26 Lacs.	Executive Engineer PHE-II	
34	145.34	स्वर्गीय श्री बन्ने लाल पुत्र स्व. श्री बंशीलाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पत्नि श्रीमती इन्द्रा कवर को मृतक आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति दिये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वर्गीय श्री बन्ने लाल पुत्र स्व. श्री बंशीलाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पत्नि श्रीमती इन्द्रा कवर को मृतक आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	

ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
35	145.35	<p>वाल्मिकी अम्बेडकर मलिन बस्ती आवासीय योजना बाँम्बे आवास गृह की कीमत पर ब्याज में छुट के संबंध में।</p>	<p>विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बाँम्बे योजना में निर्मित आवासों की मूल कीमत रुपये 33000-31000/- की आवंटियों से वसूल की जावे तथा इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जावे। इसके लिए उक्त मूल कीमत की मासिक किश्ते नये सिरे से निर्धारित करवायी जावे। जिसकी अवधि कमशः 110 माह तथा 103 माह रखे जावे। 2. यदि आवंटी निर्धारित किश्त का समय पर भुगतान नहीं करता है तो किश्त की देय तिथि से विलम्ब की अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूल किया जावे। 3. यदि कोई आवंटी एक मुश्त राशि रुपये 33000-31000/- जमा कराने की इच्छा प्रकट करता है तो उसके द्वारा पूर्व में जमा कराई गई राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि वसूल की जावे। 4. वर्ष 2003 से 2009 के मध्य आवंटित किये गये आवासों के आवंटियों से उक्त अवधि की किश्तों पर भी ब्याज माफ करने के संबंध में निर्णय लिया गया। <p>उक्त आवासों की कीमत/ब्याज के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्रों को अधिलंबित करते हुए उपरोक्तानुसार नए आदेश प्रसारित किये जावे।</p>	अति. आयुक्त (प्रशासन)	


 सदस्य सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक: 1/12/09

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2009/डी-5060
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-


क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्टर, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी/भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अघोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव,
जयपुर, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 145वीं बैठक दिनांक 27.11.09 को दोपहर 10.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री सुधांशु पंत, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री सुधांशु पंत	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती गायत्री ए राठी	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री भास्कर शर्मा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री एस.के. पंचोली	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री ओ.पी. दोराया	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एच.एस. सचेती	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्रीमती पुष्पा सत्यानी	अति. जिला कलेक्टर (चतुर्थ)	कलेक्टर	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री एस.के. गुप्ता	अधीषण अभियन्ता	जेवीवीएनएल	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री गणपत सिंह राणावत	अति. पुलिस अधीक्षक	पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर सिटी	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री के.जी. गोयल	कमिश्नर रेवेन्यू	नगर निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
11	श्रीमती सुचि शर्मा	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री शफी मोहम्मद कुरेशी	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्रीमती दुर्गा जोशी	अति. आयुक्त (एलपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री ललित कुमार शर्मा	जोनल अभियन्ता (पीडीसी-द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री सुनिल सिघल	EE PHE-I	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री अनिल शर्मा	EE PHE-I		
18	श्री पी. अरविन्द	एस.टी.पी. (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री बी.एल. गोयल	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री पी.सी. शर्मा	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्री सुरेश गोयल	तहसीलदार जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण